प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
एस.पी.एम.यू., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, आगरा, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / नर्सिंग सेल / 18 / 2015–16 / दिनांकः 15/5/16

विषयः **Strengthening of Pre-service Education and Midwifery कार्यक्रम के अंतर्गत कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स में स्किल लैब, आई0टी0 लैब, लाइब्रेरी एवं फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु अवमुक्त धनराशि के कियान्वयन सम्बंधी दिशा–निर्देश।**

महोदय,

आप अवगत है कि आर0एम0एन0सी0एच+ए0 गतिविधियों की गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने के लिये चिकित्सकों के अतिरिक्त ए0एन0एम0 एवं स्टॉफ नर्स की अहम् भूमिका है। प्रदेश के नवीन परिदृश्य में ए0एन0एम0 एवं स्टाफ नर्सो के प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी बदलाव एवं गुणवत्तापरक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिये प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तकनीक, उपकरणों से सुसज्जित कर सुदृढ़ किया जाना है।

परियोजना का उद्देश्यः

परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कालेज ऑफ नर्सिंग, जी0एन0एम0 स्कूल्स एवं ए0एन0एम0टी0सी0 को सुदृढ़ करना है, जिससे की उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल्स सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षु नर्स / मिडवाईफ्स को प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जा सके।

यह भी अवगत कराना है कि एफ0एम0आर0 मद संख्या ए.9.10.1 में से निम्न विवरण के अनुसार धनराशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है।

			Activity Point No.	1	2	3	4	
S.No.	Name of Districts	CoN & GNMs Schools	F.M.R. Code	Budget released to DHS under the heads of Establishment of Skill Lab/IT Lab & Library on 11/03/16 (Rs. In lac)	Budget released to DHS under the heads of Library setup & furniture on 26/03/16 (Rs. In lac)	Budget released to DHS under the heads of Contingency (for 2 months) on 25/03/16 (Rs. In lac)	Budget released to DHS under the heads of Repair & renovation on 31/03/16 (Rs. In lac)	Grand Total (Rs. In lac)
1	Kanpur Nagar	CoN Kanpur	A.9.10.1	-	-	0.1	4.98	5.08
2	Kanpur Nagar	LLR GNMTC Kanpur	A.9.10.1	40.00	2.0	0.1	9.98	52.08
3	Kanpur Nagar	UHM, GNMTC, Kanpur	A.9.10.1	40.00	2.0	0.1	-	42.10
4	Agra	GNMTC, SN Medical College, Agra	A.9.10.1	40.00	2.0	0.1	5.00	47.10
5	Allahabad	GNMTC, SRN College, Allahabad	A.9.10.1	40.00	2.0	0.1	6.46	48.56
6	Gorakhpur	GNMTC, Gorakhpur	A.9.10.1	40.00	2.0	0.1	5.43	47.53
7	Bareilly	GNMTC, Bareilly	A.9.10.1	40.00	2.0	0.1	6.13	48.23
8	Meerut	CoN Meerut	A.9.10.1	61.50	3.0	0.1	-	64.60
9	Varanasi	CoN B.H.U. Varanasi	A.9.10.1	61.50	3.0	0.1	-	64.60
10	Lucknow	GNM School Balrampur Hospital	A.9.10.1	-	2.0	0.1	-	2.10
Total				363.00	20.00	1.00	37.98	421.98

उपर्युक्त सारणी में बिन्दु संख्या 1 एवं 4 पर अंकित गतिविधि का कियान्वयन मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से किया जाना है तथा बिन्दु संख्या 2 एवं 3 पर अंकित गतिविधियों का कियान्वयन सम्बंधित प्रशिक्षण संस्थान स्तर से किया जाना है। समस्त गतिविधियों के कियान्वयन के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सम्बंधित संस्थान को धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

1. नर्सिंग स्कूल में स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना:

i. रिकल लैब: भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार नर्सिंग स्कूल में स्किल लैब की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण जैसे--बी0पी0 अपरेटस, स्टेथोस्कोप, वेइंग मशीन एवं औजार जैसे--कॉर्ड क्लैम्प, यूरोबैग, नैब्यूलाइज़र आदि तथा संकमण से बचाव लिए आवश्यक सामग्री/कन्जयूमेबल्स की व्यवस्था आदि की जानी है एवं उपर्युक्त सामाग्री/कन्जयूमेबल्स का कय नियमित रुप से जिले स्तर पर किया भी जाता है। अतः शासकीय नियमानुसार कय की कार्यवाही 10 मई 2016 से पूर्व पूर्ण कर ली जाये **(उपकरणों/औजारों की सूची एवं स्पेसिफीकेशन संलग्न "1")**।

ii. स्किल लैब की स्थापना हेतु मेनेक्विन्स, मॉडल्स एवं चार्टस आदि का कय भी किया जाना है। जिन मेनेक्विन्स/मॉडल्स आदि की कीमत एक लाख से अधिक है ऐसी स्थिति में कय नियमों का पालन करते हुए निविदा प्रकिया के माध्यम से 30 जून 2016 तक कय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये **(आवश्यक मेनेक्विन्स, मॉडल्स एवं चार्टस की सूची एवं स्पेसिफीकेशन संलग्न "2")**।

iii. आई0टी0 लैब: भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार नर्सिंग स्कूल में आई0टी0 लैब की स्थापना हेतु आवश्यक कम्प्यूटर्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, ए0सी0, यू0पी0एस0 एवं फर्नीचर आदि का कय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट/अनुमन्य आर0सी0 दरों पर दिनांक 5 मई 2016 तक कय किया जाना सुनिश्चित करें **(आई0 टी0 लैब के उपकरण सूची/स्पेसिफीकेशन संलग्न "3")**।

iv. लाइब्रेरी की स्थापना: भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार नर्सिंग स्कूल में लाइब्रेरी की स्थापना भी की जानी है जिसके लिए आवश्यक पुस्तकें, गाइडलाइन्स एवं माड्यूल्स का कय निविदा प्रकिया के माध्यम से किया जायेगा। कय की जाने वाली पुस्तकों की सूची एवं विस्तृत विवरण (नाम, संख्या, मूल्य आदि) सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है, तदानुसार कार्यवाही 30 जून 2016 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें **(पुस्तकों/माड्युल्स की सूची संलग्न "4")**।

v. कय समिति की बैठक: कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स में स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी स्थापना हेतु आवश्यक उपकरणों/सामग्री एवं पुस्तको का क्रय करने के लिए जिला स्तरीय कय समिति की बैठक यथाशीघ्र आयोजित कर ली जाये। बैठक में सम्बधित स्कूल के प्रधानाचार्य/इन्चार्ज प्रधानाचार्य/ट्यूटर्स को विशेष आमंत्री सदस्य के रुप में आमंत्रित किया जाये जिसके कि उपकरणों/ औजारों/पुस्तकों/मेनिक्विन्स/मॉडल्स/चार्टस/इक्यूपमेन्टस/कम्प्यूटर आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

vi. 'थर्ड पार्टी' परीक्षण : परियोजना के अन्तर्गत स्किल लैब, आई0टी0लैब हेतु कय किये गये समस्त उपकरणों/औजारों/पुस्तकों/मेनेक्विन्स/मॉडल्स/चार्टस/इक्यूपमेन्टस/कम्प्यूटर आदि की गुणवत्ता का परीक्षण 'थर्ड पार्टी' द्वारा किया जायेगा। यह कार्य जपाईगो, लखनऊ के राज्य कार्यकम अधिकारी एवं यू0पी0 टी0एस0यू0 के अधिशासी निदेशक द्वारा नामित सदस्य के द्वारा संयुक्त रुप से किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2. नर्सिंग स्कूल हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं ए0सी0:

परियोजना के इस गतिविधि के अर्न्तगत कालेज आफ नर्सिंग (रू0 3.00 लाख प्रति कालेज) एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स (रू0 2.00 लाख प्रति स्कूल) में लाईब्रेरी की स्थापना के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं ए0सी0 आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए धनराशि का प्रविधान किया गया है। क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण एवं स्पेसिफिकेशन निम्नवत् है:–

कम सं0	विवरण	संख्या प्रति कालेज आफ नर्सिंग	संख्या प्रति जी0एन0एम0 स्कूल्स	स्पेसिफिकेशन
1	बुक शेल्फ	8	8	स्टिल, 20 गेज की जिसमे कम से कम 4 रैक, प्रस्तावित साइज–66"×33"×15", लॉकेबल ग्लास डोर
2	लइब्रेरी मेज	5	4	लकडी की, 5 फुट×3 फुट
3	कुर्सी	60	40	लकडी/आयरन, फॉम शीट, 2 हेन्डल
4	न्युज पेपर / जरनल स्टैन्ड	1	—	लकडी का
5	ए0सी0	1	1	2 टन का स्टेबलाइजर के साथ

3. विविध/ए0एम0सी0 खर्चः

नर्सिंग स्कूल मे विभिन्न गतिविधियों के कियान्वयन के लिये विविध मद में दो माह के लिए रू0 5000/– प्रतिमाह का प्रविधान किया गया है, जिसका प्रयोग नर्सिंग स्कूल द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावित मद जैसे– टेलीफोन/इन्टरनेट का मासिक बिल, विभिन्न जर्नल्स के मासिक/वार्षिक शुल्क हेतु, चेकलिस्ट प्रिन्टिग, ऑफिस स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज आदि एवं पूर्व से कियाशील उपकरणों की ए0एम0सी0 आदि मद मे किया जा सकता है।

4. सामान्य मरम्मत एवं रिनोवेशनः

परियोजना के अर्न्तगत 6 नर्सिंग स्कूल्स (कालेज आफ नर्सिंग कानपुर नगर एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स एल0एल0आर0 चिकित्सालय कानपुर नगर, आगरा, बरेली, इलाहाबाद एवं गोरखपुर) में स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना हेतु चिन्हित क्षेत्र की सामान्य मरम्मत व रिनोवेशन हेतु प्रस्ताव सम्बंधित जनपदों के अवर अभियंता द्वारा आगणन कर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से एस0पी0एम0यू0 को उपलब्ध कराये गये है। प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यो को कराने से पूर्व मौके पर उपलब्ध भवन एवं स्थान आदि में आवश्यकतानुसर परिर्वतन करते हुए मानचित्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित गाइडलाईन्स के अनुसार कार्य कराया जाये। परियोजना के अर्न्तगत मुख्यतः निम्नलिखित कार्य कराये जाने प्रस्तावित है:

- नर्सिंग स्कूल्स में निर्धारित स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी के कमरों में टाईल्स, बिजली/वायरिंग व्यवस्था एवं कमरों के एलुमिनियम दरवाजे आदि कार्यों को सम्पादन।
- नर्सिंग स्कूल्स की छतों की मरम्मत, पेंटिग, लेबर रुम, सभाकक्ष मे मरम्मत आदि का कार्य।
- नर्सिंग स्कूल्स में समस्त मरम्मत एवं रिनोवेशन का कार्य जनपदों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार एवं स्वीकृत बजट की सीमा के अर्न्तगत कराया जायेगा।
- सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स के प्रधानाचार्य सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित सामान्य मरम्मत एवं रिनोवेशन कार्य कराने से पूर्व, दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर गतिविधि की फोटो अवश्य ली जाये एवं रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जनपद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार ही मरम्मत एवं रिनोवेशन कार्य कराया जाये एवं उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर अनुश्रवण अवश्य किया जाये (जनपदवार मरम्मत व रिनोवेशन प्रस्ताव संलग्न "5")।

5. वित्तीय व्यवस्था

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
3. सम्बंधित कालेज ऑफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यु का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉं समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
5. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार को आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशानुसार निर्धारित समस्त गतिविधियॉं ससमय सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(डा0 काजल)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक : एस.पी.एम.यू./नर्सिंग सेल/18/2015–16/364-11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सम्बंधित मण्डलीय अपर निदेशक, (चि0 स्वा0 एवं प0 क0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. सम्बंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सम्बंधित प्रधानाचार्य, सम्बंधित कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स, उत्तर प्रदेश।
10. सम्बंधित मण्डलीय/जनपदीय परियोजना प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य प्रतिनिधि जपाइगो, लखनऊ।

(डा0 काजल)
अपर मिशन निदेशक